न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–85 सन् 2017

शेख अहमद अली वो अन्य.....वादीगण।

बनाम

मानती देवी व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 18.10.2022

वादी की ओर से हाजिरीं है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 7 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 12.07.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि वादी ने मुकदमा तकरारी एराजी पर अपना हकियत घोषित करने वो अन्य परितोष हेतु दाखिल किया है। तकरारी एराजी का कुल विवरण अर्जीदावी के सिडियुल नं0 01 और 02 में दर्ज किया गया है। तकरारी एराजी मौजा–सराय साहो, थाना वो अंचल–दरियापुर, जिला–सारण में स्थित खाता नं0 147 खेसरा नं0 645 की भूमि है। प्रतिवादी इस वाद में उपस्थित होकर संघर्ष कर रहे हैं। केस की कार्यवाही के दरम्यान प्रतिवादीगण तकरारी भूमि के स्वरूप बदलने की नियत से ईट, बालू, सिमेंट से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए हैं और स्थल पर ईट, बालू, सिमेंट रखे हुए हैं और निर्माण कार्य जोर–सोर से कर रहे हैं। न्यायहित में न्यायालय के समक्ष स्थल जांच प्रतिवेदन आना जरूरी है। अतः निवेदन है कि स्थल जांच हेतु किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांग लेने की कृपा की जाए।

उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दिनांक 19.07.2022 को दाखिल कर कथन है कि जिस उनवान वो बयान के आधार पर स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त बहाल करने वास्ते जो आवेदन वादीगण के तरफ से दिया गया है वह बहरहाल काबिल खारिज के है। बल्कि चलने योग्य नहीं है। वादीगण का उपरोक्त आवेदन बदनियती से परिपूर्ण है तथा वादीगण अपने अर्जीदावी में

लिखे हैं कि विवादित जमीन पर हमलोग बेदखल हैं तथा विवादित जमीन पर प्रतिवादी के भेण्डी 1925 से विवादित जमीन पर दखल कब्जे में चले आ रहे हैं तथा प्रतिवादी अपने भेण्डी से विवादित जमीन के अंश में से जमीन खरीद करके अपना चाहरदीवारी एवं करकटनुमा मकान बनाकर के अपने सपरिवार के साथ रहते हैं तथा विवादित जमीन में भेण्डी का नाद, खूंटा, खोप, गोबर इत्यादि है तथा प्रतिवादी के भेण्डी कुछ जमीन को जोत आबाद करते हैं तथा मौसम के मुताबिक फसल आबाद करते आ रहे हैं तथा विवादित जमीन पर प्रतिवादीगणों का दखल कब्जा बहुत जमाने दराज से चला आ रहा है तथा एक छन का दखल कब्जा वादीगण एवं वादीगणों के वारिसानों को नहीं है तथा उस स्थिति में अधिवक्ता आयुकत बहाल नहीं कर सकते हैं। अतः निवेदन है कि वादीगण स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त का आवेदन खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा की जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी आवेदन दाखिल कर अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी का वर्तमान स्वरूप अभिलेख पर मंगाने हेतु दाखिल किया है। वादी ने अपने आवेदन में कथन किया है कि प्रतिवादी तकरारी एराजी पर ईट, बालू एवं सिमेंट एकत्रित कर निर्माण कार्य जोर–सोर से कर रहे हैं और विवादित भूमि के स्वरूप बदलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में तकरारी एराजी का वर्तमान स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 2500/–रूपया नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।